International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030; Impact Factor: RJIF 5.24
Received: 10-11-2019; Accepted: 11-12-2019
www.advancedjournal.com
Volume 5; Issue 1; January 2020; Page No. 41-43

शहडोल जिले के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन

राकेश कुमार त्रिपाठी
शोधार्थी शिक्षा, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेस सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र शहडोल जिले के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन पर आधारित है। अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि शोध क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों पर अध्ययनरत 8.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 12.50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि की प्राप्ति नहीं कर पाएँ, 78.25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 77.50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि स्तर की प्राप्ति की। इसी प्रकार से 10.75 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 8.25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि के स्तर की ओर अग्रसर है, जबकि 2.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1.75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को प्राप्त कर लिया है। शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर पाया गया।

मूल शब्द: शहडोल जिला, आवासीय विद्यालय, समायोजन, शैक्षिक उपलब्धि।

1. प्रस्तावना
प्रत्येक मनुष्य जीवन के प्रथम स्वाँस से ही सीखना (शिक्षा) प्रारम्भ कर देता है और सीखन की यह प्रक्रिया जीवन पर्यन्त चलती रहती है। बालक अपने मानसिक विकास के साथ–साथ अपने को वातावरण के अनुकूल बनाता हैं, क्योंकि सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उसे अपने वातावरण और परिस्थितियों के साथ सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उसे अपने वातावरण और परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रकार की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है। जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। शैक्षिक परिवेश में भी इसी प्रकार की अनेक समस्यायें आती है। जिनका समायोजन बुद्धिमत्ता पूर्वक करना होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी अलग–अलग क्षमता या योग्यता के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयत्न करता है। कुछ शिक्षार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते है और कुछ हार मानकर मानसिक संतुलन खो बैठते है। जिससे उनके अन्दर असंतोष, मानसिक, द्वन्द एवं तनाव उत्पन्न हो जाता है। जिससे उसका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। जिसके फलस्वरूप शिक्षार्थी का शैक्षिक जीवन डगमगाने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव उसके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। श्रेष्ठ शैक्षिक उपलब्धि हेतु प्रबल समायोजन योग्यता का होना आवश्यक है।

समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। सम+आयोजन, सम का अर्थ है – भली–भाँति, अच्छी तरह या समान रूप से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था। अतः समायोजन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे कि आवश्यकताएँ पूरी हो जाए। मानसिक द्वन्द न उत्पन्न होने पाये।

2. अध्ययन की आवश्यकता
शोधार्थी द्वारा चयनित शोध क्षेत्र मध्य प्रदेश का शहडोल जिला सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही पक्षों में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके साथ इस जिले की भौगोलिक स्थिति भी समरूप नहीं है। जिले में पर्वत, पठार, जंगल, नदियाँ, दुर्गम स्थल तथा मैदानी क्षेत्र सभी सम्मिलित हैं। इसी कारण यहाँ के निवासियों की जीवन शैली तथा जीवन स्तर पर भी विविधता स्पष्ट परिलक्षित होती है। आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि की सफलता के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों तथा उक्त सम्बर्ग के सुधार के लिए वास्तविक स्थिति का अध्ययन तथा उसमें वांछित सुधार हेतु सुझाव देने के लिए शैक्षिक शोध करने की आवश्यकता है। शोधार्थी द्वारा चयनित शोध कार्य इस क्षेत्र में पूर्णतः नवीन है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

3. उद्देश्य
प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है

- शहडोल जिले में आवासीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालयों की जानकारी प्राप्त करना।
- शोध क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।

4. शोध की परिकल्पनाएँ
मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक अनुसंधान का प्रारम्भ जब होता है, जबकि एक समस्या हो। समस्या की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन परिकल्पना है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है– पूर्व चिंतन। किसी भी अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का सही प्रयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि हम उस अनुसंधान और समस्या से सम्बन्धित कुछ प्रारम्भिक ज्ञान तथा सामान्य अनुभव प्राप्त कर ले। समुद्री जहाज के कमान को जिस प्रकार उसकी कुतुबनुमा से अज्ञात अज्ञात दिशाओं में भी सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार अपने विचार से अनुसंधानकर्ता भी कार्य व अध्ययन में दिशा प्राप्त करता है और उसके अनुसार आगे बढ़ता हुआ प्रगति करता है। अनुसंधानकर्ता के इस प्रकार के विचार को ही परिकल्पना कहा जाता है।

शोधार्थी की मान्यता है कि इस अध्ययन के पश्चात् निम्नवत तथ्य प्राप्त होगे
1. शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही है।

5. शोध समस्या का सीमांकन
शोध कार्य का क्षेत्र जिला शहडोल है। इसके अन्तर्गत 5 विकासखण्ड – सोहागपुर, गोहपारू, ब्यौहारी, बुढ़ार एवं जयसिंहनगर हैं। अतः जिला अन्तर्गत स्थित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि, इस अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित होगें।

समष्टि व प्रतिदर्श
चूंकि शहडोल जिला का क्षेत्र व्यापक है, सभी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए जिले के सभी विकासखण्डों से 2 शहरी –2 ग्रामीण (एक बालक एवं एक बालिका) आवासीय विद्यालय कुल 20 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन द्वारा अध्ययन हेतु किया गया है। विद्यालयों का चयन करते समय यह विशेष रूप से

ध्यान रखा गया कि सभी विकासखण्डों के आवासीय विद्यालय ऐसे हो जो अपने–अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके तथा ये सभी आवासीय विद्यालय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हो।

विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का गहन अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित आवासीय विद्यालयों से 20 छात्र व 20 छात्राएं कुल 800 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृ ि टयों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा।

6. अध्ययन विधि

- **सर्वेक्षण अध्ययन विधि:** सर्वेक्षण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शोध समस्या के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़े मुख्य तथा वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान स्तर की मान्य स्तर से तुलना, तथा वर्तमान स्तर को विकसित करने में महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा तथ्यों, परिस्थितियों तथा गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- **साख्यिकीय विधि:** सर्वेक्षण विधि से प्राप्त ऑकड़ो का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है। जिनकी व्याख्या एवं विश्लेषण हेतु, सांख्यकीय विधियॉ प्रयोग में लाई गयी है। प्रस्तुत शोधकार्य में परिकल्पनाओं का परीक्षण सांख्यकीय विधियों द्वारा करने के लिये– Mean, प्रतिशत (%), S.D., जश ज्मेज आदि प्रयोग किये गये है, साथ ही गुणात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान रखा गया हैं।

7. शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि की सार्थकता हेतु परीक्षण पत्रक/ कक्षावार गणित का परीक्षण किया गया है।

8. पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से पाण्डेय, के.पी., (1985)[1], गुप्ता एस.पी. (2001)[2], मेहता, सी. (1970)[3], निगम, बी.के. तथा शर्मा, एस.आर. (1993)[4] बाना, बीना, (2008)[5] श्रीवास्तव, डॉ. छाया एवं डॉ. जय सिंह (2016)[6] तथा सुल्ताना, के., (1998)[7] ने शोध विधि एवं आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्धित कार्य किये है।

9. शहडोल जिले का सामान्य परिचय

शहडोल जिला भारत वर्ष के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उत्तर–पूर्वी भाग में $22^{0}38'$ उत्तरी अक्षांश से $24^{0}20'$ उत्तरी अक्षांश एवं $30^{0}28'$ पूर्वी देशांतर से $82^{0}12'$ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। शहडोल जिले का नाम सोहागपुर गॉव के शहडोलवा अहिर के नाम पर आधारित है। शहडोल जिले का कुल क्षेत्रफल 5671 वर्ग कि.मी. है। इस जिले की उत्तर से दक्षिण की अधिकमतम लम्बाई 170 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लम्बाई 110 कि.मी. है। प्रशासकीय दृष्टि से शहडोल जिले में चार तहसीलें–सोहागपुर, जैतपुर, ब्यौहारी, एवं जयसिंह नगर हैं। तथा पॉच विकासखण्ड–सोहागपुर, पाली, ब्यौहारी, बुढ़ार एवं जयसिंह नगर हैं।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्र. 1 : शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही है।

सारणी क्रमांक 1: शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन

क्र.	प्राप्तांक की स्थिति	आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का स्तर			
		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0 से ऊपर किन्तु 40 अंक से कम (शैक्षिक उपलब्धि की प्राप्ति नहीं)	34	8.50	50	12.50
2.	40 अंक से अधिक किन्तु 60 अंक से कम (शैक्षिक उपलब्धि की प्राप्ति)	313	78.25	310	77.50
3.	60 अंक से अधिक किन्तु 80 अंक से कम (शैक्षिक उपलब्धि की ओर अग्रसर)	43	10.75	33	8.25
4.	80 अंक से अधिक किन्तु 100 अंक से कम (शैक्षिक उपलब्धि की ओर पूर्णरूप से अग्रसर)	10	2.50	7	1.75

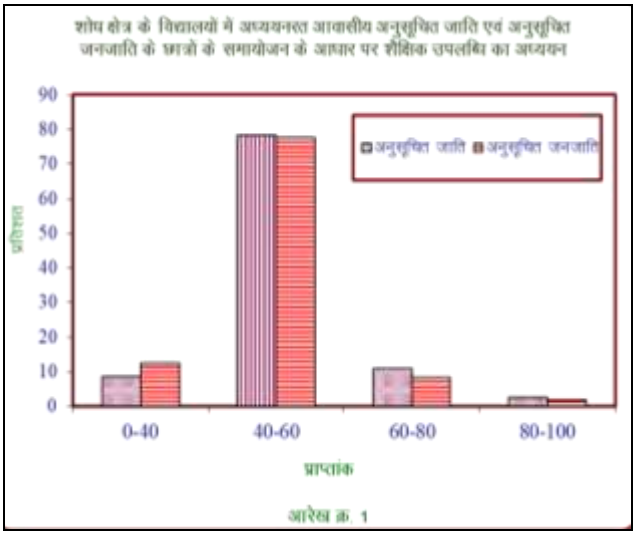

आरेख क्र. 1

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 में न्यादर्श हेतु चयनित शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी का संकलन किया गया है।

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 के ऑकड़े यह दर्शाते है कि, शोध क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों पर न्यादर्श हेतु चयनित कुल 800 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों में से 34 अनुसूचित जाति एवं 51 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि की प्राप्ति नहीं कर पाएँ, 313 अनुसूचित जाति एवं 310 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि स्तर की प्राप्ति की। इसी प्रकार से 43 अनुसूचित जाति तथा 33 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि के स्तर की ओर अग्रसर है, जबकि 10 अनुसूचित जाति एवं 7 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों पर अध्ययनरत 8.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 12.50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि की प्राप्ति नहीं कर पाएँ, 78.25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 77.50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि स्तर की

प्राप्ति की। इसी प्रकार से 10.75 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 8.25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि के स्तर की ओर अग्रसर है, जबकि 2.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1.75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को प्राप्त कर लिया है।

सारणी 2: शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का सांख्यिकीय विश्लेषण

समूह		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह की संख्या (N)		400	400
मध्यमान (M)		51.58	49.28
मानक विचलन (SD)		10.77	10.25
क्रान्तिक निष्पत्ति (C.R.)		3.09	
निष्कर्ष	0.05 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	
	0.01 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपर्युक्त सारणी में शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि की औसत उपलब्धि 51.58 तथा मानक विचलन 10.77 है तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का औसत उपलब्धि 49.28 तथा मानक विचलन 10.25 है। दोनों समूहों के मध्यमानों में पाये जाने वाले सार्थकता की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात परीक्षण (C.R. Test) किया गया, जिसमें ब्र का मान 3.09 प्राप्त हुआ जो 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.97 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.59 से अधिक है। अतः शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर पाया गया। इस प्रकार शोधार्थी की परिकल्पना "शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही है।" अस्वीकार की जाती है।

अतः परिकल्पना निरसित होती है।

निष्कर्ष

किसी भी शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष किये गये शोध कार्य को मान्यता प्रदान करते है। प्रस्तुत शोध के प्रदत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण से प्राप्त हुए तथ्यों के आधार पर प्राप्त शोध निष्कर्षो का विवरण निम्ननुसार हैं–

1. शोध क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों पर अध्ययनरत 8.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 12.50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि की प्राप्ति नहीं कर पाएँ, 78.25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 77.50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि स्तर की प्राप्ति की। इसी प्रकार से 10.75 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 8.25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि के स्तर की ओर अग्रसर है, जबकि 2.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1.75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को प्राप्त कर लिया है।
2. शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि की औसत उपलब्धि 51.58 तथा मानक विचलन 10.77 है तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का औसत उपलब्धि 49.28 तथा मानक विचलन 10. 25 है।
3. शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत आवासीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर पाया गया।

सन्दर्भ सूची

1. पाण्डेय, के.पी., ''मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1985.
2. गुप्ता एस.पी. – ''आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन'' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद संस्करण, 2001.
3. मेहता, सी. – 'नेशनल पॉलिसीर ऑफ एलिमेन्ट्री टीचर एजूकेशन इन इण्डिया'', एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 1970.
4. निगम, बी.के. तथा शर्मा, एस.आर. –''भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें'' (प्रथम संस्करण) कनिष्ठ प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993.
5. बाना, बीना, ''पिछड़े व सामान्य बालकों में सीखने की समस्या समायोजन समस्या के इनें व्यक्तित्व व आत्मसम्प्रत्यय के सम्बन्धों का तुलनात्मक अध्ययन'' महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, 2008.
6. श्रीवास्तव, डॉ. छाया एवं डॉ. जय सिंह (2016) – "माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण अधिगम क्षमता का अध्ययन (सतना जिले के संन्दर्भ में)" International Journal of Multidisciplinary Education and Research, Volume 1; Issue 3; May 2016; Page No. 63-65.
7. सुल्ताना, के., 1998, ''बांग्लादेश के किशोर व किशोरियों की समायोजना के तरीकों से संबंधित अभिवृत्ति का अध्ययन'', 1998.